



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-15072026-274513
CG-JH-E-15072026-274513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 559]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनवाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 617(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 160 के तहत मुझे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है), इसके द्वारा उन शर्तों को निर्दिष्ट करता हूं जिनके तहत किसी खदान को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान 'पूर्ण दिवसीय कार्यमुक्ति प्रणाली'(full day release)पर रिक्रेशर ट्रेनिंग देने से छूट दी जा सकती है।

दायरा: ये मानक उन शर्तों को निर्दिष्ट करते हैं जिनके तहत किसी खदान को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 160 के अनुसार सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान 'पूर्ण दिवसीय कार्यमुक्ति प्रणाली'पर लोगों को रिक्रेशर ट्रेनिंग देने से छूट दी जा सकती है।

लागू होना: ये मानक उन तेल खदानों पर लागू होंगे जहां लोग "ऑन-एंड-ऑफ" (on-and-off) कार्य पद्धति में काम करते हैं।

अनुपालन की आवश्यकता:

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 160 के अनुसार सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान 'पूरे दिन की छुट्टी' प्रणाली पर लोगों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने से छूट उन तेल खदानों को दी जाती है जहां लोग "ऑन-एंड-ऑफ" कार्य पैटर्न में काम करते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग लोगों को उनके 'ऑफ पीरियड' (काम से छुट्टी की अवधि) के दौरान दी जा सकती है, बशर्ते निम्नलिखित शर्त पूरी हो:

यदि रिफ्रेशर ट्रेनिंग सामान्य कामकाजी घंटों के बाद 'ऑफ पीरियड' के दौरान दी जाती है, तो ट्रेनिंग में शामिल होने के दिनों की संख्या के बराबर 'कम्पेंसेटरी ऑफ' (बदले में छुट्टी) लोगों को ट्रेनिंग भत्ते के अलावा दिया जाएगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/03-1/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Directorate General of Mines Safety)****NOTIFICATION**

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 617(E).—In exercise of the powers conferred on me under Rule 160 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the conditions to exempt any mine from refresher training during normal working hours on full day release system.

Scope: These standards specify the conditions to exempt any mine from imparting refresher training to persons during normal working hours on full day release system as per Rule 160 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These standards shall be applicable to the oil mines where persons are employed in “on-and-off” work pattern.

Compliance Requirement:

Exemption from imparting refresher training to persons during normal working hours on full day release system as per Rule 160 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 is hereby given to oil mines where persons are employed in “on-and-off” work pattern. The refresher training may be imparted to the persons during their off period subject to the following condition:

If the refresher training is imparted beyond normal working hours during off period, compensatory off equal to the number of days attended for training shall be given to the persons in addition to the training allowances.

[F. No. DGMS/03-1/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines